रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33002/92
REGISTERED NO. D.L.—33002/92

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली प्रशासन
DELHI ADMN.

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 32] दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 1992/कार्तिक 28, 1914 [पी. आर. डी. सं. 239
No. 32] DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 1992/KARTIKA 28, 1914 [P. R. D. No. 239

भाग IV
PART IV

भाग—I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर दिल्ली प्रशासन के विभागों की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Delhi Administration other than notifications included in Part-I

विल्ली प्रशासन, दिल्ली
DELHI ADMINISTRATION : DELHI

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन

(चिकित्सा व जन स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 6 नवम्बर, 1992

संख्या फा. 05/7/92-चि.व जन स्वा.(1):—स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 12 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12–72/57-डी. के साथ पठित औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले सर्व श्री अनिल कुमार नेगी तथा कमल राजन चावला को सम्पूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं:—

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(Department of Medical & Public Health)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 6th November, 1992

No. F. 5|7|92-M&PH-(i).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940, read with the Government of India, Ministry of Health's Notification No. 12-72|57-D dated the 12th October, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints S|Shri Anil Kumar Negi and Kamal Rajan Chawla, having the prescribed qualifications, as Inspectors for the whole of the National Capital Territory of Delhi.

सं. फा. 5/7/92-चि. व जन स्वा. (2).—स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 12 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना संख्या 12-72/57 डी के साथ पठित औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम 1954 की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल सर्वश्री अनिल कुमार नेगी तथा कमल रंजन चावला औषधि निरीक्षकों दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के अंदर उक्त धारा के अधीन सभी कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के उप-राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पी. सी. शर्मा, अवर सचिव (चिकित्सा)

No. F. 5|7|92-M&PH (ii).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 read with the Government of India, Ministry of Health, Notification No. 12-72|57-D dated the 12th October, 1957, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to authorise S| Shri Anil Kumar Negi and Kamal Rajan Chawla, Drugs Inspectors to do all acts under the said section within the National Capital Terriory of Delhi.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

P. C. SHARMA, Under Secy. (Medical)

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 4 नवम्बर, 1992

सं. एफ. 11(10)/रा. स्था./81(1)/7197-98.—दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम, 1964 की धारा 7 एवं दिल्ली सहकारी अधिनियम, 1972 जो कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू है, दिल्ली के उप-राज्यपाल निम्नलिखित सहकारी विभाग के कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत कथित क्षेत्र में "सहायक कलैक्टर" द्वितीय श्रेणी, दिल्ली सहकारी विभाग से सम्बन्धित ऋण वसूली के लिए नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एस.सी.एस. बिष्ट निरीक्षक तृतीय श्रेणी
2. श्री बिशम्भर सिंह निरीक्षक द्वितीय श्रेणी

सं. एफ. 11(10)/रा.स्था./81(2)/7197-98.—पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 27 (1) (बी) एवं दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 जो कि राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र में लागू है दिल्ली के उप-राज्यपाल निम्नलिखित सहकारी विभाग के कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में, "सहायक कलैक्टर", द्वितीय श्रेणी के दिल्ली सहकारी विभाग से सम्बन्धित ऋण वसूल करने के लिए समस्त अधिकार प्रदान करते हैं :—

1. श्री एस.सी.एस. बिष्ट निरीक्षक तृतीय श्रेणी
2. श्री बिशम्भर सिंह निरीक्षक द्वितीय श्रेणी

सं. एफ 11(10)/रा.स्था./81(3)/7197-98.—उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 15 (1) एवं दिल्ली सहकारी अधिनियम, 1972 जो कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में लागू है दिल्ली के उपराज्यपाल सहकारी विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली में "सहायक कलैक्टर", द्वितीय श्रेणी के दिल्ली सहकारी विभाग से सम्बन्धित ऋण वसूल करने के लिए समस्त अधिकार प्रदान करते हैं :—

1. श्री एस.सी.एस. बिष्ट निरीक्षक तृतीय श्रेणी
2. श्री बिशम्भर सिंह निरीक्षक द्वितीय श्रेणी

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा नाम से

के. एस. मेहरा, सचिव (राजस्व)

(Revenue Department)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 4th November, 1992

No. F. 11(10)|Rev. Estt.81-(i)7197-98.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint each of the following officials of the Co-Operative Societies Deptt. as 'Assistant Collector', Grade-II under the said Act for the purpose of recovery of such amount as are recoverable as arrears of Land Revenue under the Delhi Co-Op. Societies Act, 1972 as enforce in the National Capital Territory of Delhi :—

1. Shri S.C.S. Bisht, Inspector, Grade-III.
2. Shri Bishamber Singh, Inspector, Grade-II.

No. F. 11(10)|Rev. Estt.|81 (ii)|7197-98.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 as enforce in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon

6-11-92 (जिसमें औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है) में श्री कमल राजन चावला, औषधि निरीक्षक के नाम को श्री कमल रंजन चावला पढ़ा जाए।

DEPARTMENT OF MEDICAL & PUBLIC HEALTH

CORRIGENDUM

Delhi, the 16th February, 1993

No. F. 5/7/92-M&PH(i).—In this department Notification No. F. 5/7/92-M&PH (i) dated 6-11-92 conferring of powers under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 the name of the Shri Kamal Rajan Chawla, Drugs Inspector be read as Kamal Ranjan Chawla.

सं. 5/7/92–चि. व. जन स्वा. (2)—इस विभाग की अधिसूचना संख्या फा. 5/7/92–चि. व. जन स्वा. (2) दिनांक 6-11-92 (जिसमें औषधि और चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1940 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है) में श्री कमल राजन चावला, औषधि निरीक्षक के नाम को श्री कमल रंजन चावला पढ़ा जाये।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य
क्षेत्र के उपराज्यपाल के आदेश
से तथा उनके नाम पर

जलज श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (चिकित्सा)

No. F. 5/7/92-M&PH (ii).—In this department Notification No. F. 5/7/92-M&PH (ii) dated 6-11-92 conferring of powers under the Drugs and Megic Remedies (objectionable Advertisement) Act, 1954 the name of Shri Kamal Rajan Chawla, Drug Inspector be read as Kamal Ranjan Chawla.

By Order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi.

JALAJ SHRIVASTAVA, Jt. Secy. (Medical)

विधि एवं न्याय विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 फरवरी, 1993

सं. फा. 6/77/84–न्याय/362:—दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के नियम 18 के [illegible] अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री कमल कान्त को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किये जाने पर अपना कार्यभार संभालने की तारीख से पूर्णरूप से अस्थाई पद (इस समय 28-2-1993 तक स्वीकृत) पर दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 तथा समय-समय पर दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू होने वाले अन्य आदेश/निदेश के अनुसार होगी।

3. दिल्ली न्यायिक सेवा में उपरोक्त व्यक्ति की पारस्परिक वरिष्ठता अन्य चुने हुए व्यक्तियों की तुलना में उसी प्रकार रहेगी जो उन्हें दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के उपबन्धों के अनुसार चयन समिति द्वारा तैयार की गई वरीयता सूची में दी गई है।

4. उक्त पद का वेतनमान 2200-4000 रुपये तथा नियमों के अनुसार देय सामान्य भत्ता है, जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर व्यवहार्य नियमों के अधीन देय है।

5. उपरोक्त व्यक्ति की सेवा लिखित में एक महीने का नोटिस देकर या सूचना की अवधि के बदले में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

6. कार्यभार संभालने के लिए किसी प्रकार का टी.ए./डी. ए. नहीं दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र
दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर

आर.के. प्रभाकर, अवर सचिव
(विधि एवं न्याय)

LAW & JUDICIAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 11th February, 1993

No. F. 6/77/84-Judl/362.—In pursuance of the provisions of rule 18 of the Delhi Judicial Service Rules, 1970, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint Shri Kamal Kant as member of the Delhi Judicial Service against purely temporary post (Presently sanctioned upto 28-2-1993) with effect from the date he assumes charge of his office on being posted by the Delhi High Court, New Delhi.

2. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 and other orders/instructions as may be applicable to the officers of Delhi Judicial Service from time to time.

3. The interse seniority of the above named candidate in the Delhi Judicial Service vis-a-vis other selected candidates will remain the same as assigned to them in the merit list prepared by the Selection Committee in accordance with the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970

4. The post carries the scale of pay of Rs. 2200-4000 plus usual allowance as may be admissible under the rules that may be applicable in this behalf from time to time.

5. The services of the above named person shall be liable to be terminated by one month's notice in writing or by payment of one month's salary in lieu of the period of notice.

6. No. T.A./D.A. shall be admissible for joining the appointment.

By Order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi.

R. K. PARDHAKAR, Under Secy
(L.&J.)